कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर

कमांक 2 /कार्य/2015 इंदौर, दिनांक 22-05-15

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मण्डल इंदौर/खंडवा ।

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
पश्चिम परिक्षेत्र ।

विषय – नई परियोजना, वर्तमान परियोजनाओं के सुदृढीकरण एवं संधारण करने के वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बाबद् ।

कृपया मार्ग निर्माण/उन्नतिकरण/सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संलग्न प्रपत्र अनुसार प्राथमिकताएं तय की जाना सुनिश्चित करे।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार ।

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर

P.S. NOTE

नई परियोजना, वर्तमान परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संधारण करने के वस्तुनिष्ठ मापदण्ड

उपरोक्त विषयातर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

नई परियोजनाओं का चयन

विभाग में नए निर्माण में उन मुख्य जिला मार्गो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये जिसका कस्ट फेल हो चुका है और जिन्हें पुर्ननिर्माण किया जाना आवश्यक है । ऐसी सभी सड़कों में से निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी –

1. ब्लॉक मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सडके ।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग से दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जोडने वाली सडके ।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़के ।
4. राज्य मार्ग से दूसरे राज्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़के ।
5. टूरिस्ट, औद्योगिक या धार्मिक महत्व को जोड़ने वाली मुख्या जिला मार्ग ।
6. किसी ऐसे स्थान को जोड़ने वाली मुख्य जिला मार्ग जहॉ पर शैक्षणिक या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो ।

उपर्युक्त प्राथमिकताओं में यदि एक से अधिक मुख्य जिला मार्ग आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता वाहन घनत्व (पी.सी.यू) के आधार पर दी जावेगी ।

ग्रामीण मार्ग

ग्रामीण मार्गो में उन मार्गो को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी गॉव के एक मुख्य पहुँच मार्ग हों और जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस आधार पर नहीं लिया गया था कि यह योजना के आने के पूर्व ही सड़कें निर्मित हो गई थी । इस सड़क की स्थिति वर्तमान में ठीक न हो तथा कस्ट फेल हो जाने के कारण रिन्यूअल कार्य नहीं किया जा सकता हो ।

गॉवो के पहुँच मार्ग का चयन उस जिले में ऐसे निर्माण किये जाने वाले पहुँच मार्गो से जुड़ने वाली की आबादी के आधार पर किया जावेगा ।

Renewal का कार्य

1. ऐसी सड़के जिनका पुर्ननिर्माण हाल के वर्षो में किया गया हो और जो Performance guarantee की अवधि के बाहर हो गए है उनका Renewal प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा ।
2. जिन सड़कों का Renewal किया जा चुका है एवं Performance guarantee के बाहर है उन्हें दूसरी प्राथमिकता में रखकर संधारित किया जाए ।

निरन्तर ...2

3. जो सड़क वार्षिक संधारण में है और जिसे B.T. Renewal द्वारा अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है उनका Renewal उपर्युक्त के पश्चात किया जाए ।

4. किसी भी हाल में Non BT सड़क को Renewal के अन्तर्गत न लिया जाए । ऐसे कार्य नव निर्माण की Category में रखकर पूर्ण Crust की जॉच कर IRC के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उसका निर्माण किया जाए ।

<u>सड़को का मजबूतीकरण</u>

मजबूतीकरण में वे सड़के ली जावेगी जिनका क्रस्ट फेल नहीं हुआ हो किन्तु वाहनो के घनत्व के कारण जिन पर Over lays की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । मजबूतीकरण हेतु सामान्यतः MDR's को ही लिया जायेगा। MDR's के बीच प्राथमिकता का निर्धारण पुनर्निमाण के लिए तय मापदण्ड अनुसार किया जाएगा । अपवाद स्वरूप ग्रामीण सड़कों को ही लिया जा सकेगा।

सड़कों के नवनिर्माण, मजबूतीकरण एवं Renewal में 5 साल की Performance Guarantee एवं Maintenance की शर्त ठेकों में आवश्यक रूप से रखी जाए ।